

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 133
उत्तर देने की तारीख 3 फरवरी, 2025
सोमवार, 14 माघ 1946 (शक)

विनिर्माण उद्योग के लिए कुशल कामगार

133. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुशल कामगारों की कमी के कारण विनिर्माण उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई ठोस नीति बनाई है, ताकि विनिर्माण उद्योगों को प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान की जा सके और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस 2023-24) अनुमानों के अनुसार, 15-59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत जिन्होंने औपचारिक और अनौपचारिक रूप से व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, क्रमशः 4.1% और 30.6% है।

(ग) और (घ) कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलान्णयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन किया है जो उद्योग-नीत संस्थाएं हैं। विनिर्माण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाले एसएससी में अन्य बातों के अलावा एरोस्पेस और एविएशन, अपैरल और मेड-अप, ऑटोमोटिव, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य उद्योग, फर्नीचर और फिटिंग, लोहा और इस्पात, रत्न और आभूषण, बिजली, रसद और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए कौशल परिषदें शामिल हैं। ये कौशल परिषदें अन्य बातों के साथ-साथ अपने-अपने क्षेत्रों के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करती हैं, व्यावसायिक मानक बनाती हैं और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अर्हता ढांचा विकसित करती हैं।

विनिर्माण क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एमएसडीई ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(क) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, विनिर्माण से संबंधित 800 से अधिक जॉब रोल हैं, जिनमें उद्योग 4.0 से संबंधित लगभग 200 भविष्यवादी/आधुनिक युग के जॉब रोल्स शामिल हैं। ये जॉब रोल्स ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, कृषि, परिधान, पूंजीगत सामान, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान्य विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो आधुनिक मशीनरी को संचालित करने, गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने और उत्पादन दक्षता को बढ़ाने में सक्षम कार्यबल की आवश्यकता को संबोधित करते हैं।

(ख) एनएपीएस के तहत जुड़े 33.5 लाख शिक्षुओं में से 14.6 लाख शिक्षु विनिर्माण प्रतिष्ठानों में कार्यरत थे।

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) भारत में दीर्घावधि कौशल की रीढ़ बने हुए हैं। आईटीआई के 2023-24 सत्र के दौरान, 88 इंजीनियरिंग विषयों में 12.12 लाख उम्मीदवारों को नामांकित किया गया, जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र को पूरा करते हैं।

(घ) रोबोटिक्स/ऑटोमेशन, एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग, एआई/एमएल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आधुनिक युग/भावी कौशल में लगभग 29 पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

(ङ) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) कार्यान्वित करता है जो विशिष्ट व्यापार की नियमित प्रशिक्षण अवधि के हिस्से के रूप में वास्तविक उद्योग वातावरण में उन्नत व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो उद्योग से जुड़ाव को सुदृढ़ करता है।

(च) डीजीटी फ्लेक्सी एमओयू स्कीम भी लागू करता है जो उद्योग भागीदारों को उनके कौशल सेट की आवश्यकताओं के अनुसार उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना संभव बनाता है और शिक्षुओं को बाजार-मांग और नवीनतम तकनीक के साथ संरेखित उद्योग वातावरण प्रदान करता है।

(छ) सरकार ने हब और स्पोक मॉडल में 1000 आईटीआई के उन्नयन और पांच (05) राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) को सुदृढ़ करने की स्कीम की भी घोषणा की है।